

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2113/2014/जयपुर

मै0 एवर शाईन इंजीनियरिंग कम्पनी,  
ई-282, तारा नगर, झोटवाड़ा, जयपुर

...अपीलार्थी

बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,  
संभाग प्रथम, जयपुर

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.सहारण

अभिभाषक

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 293/अपील्स-तृतीय/10-11 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2003-04 हेतु पारित आदेश दिनांक 03.01.2006 अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत कायम की गई मांग राशि को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी ने आलोच्य अवधि में अवार्डर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से संविदा कार्य प्राप्त कर निष्पादित किए हैं। व्यवहारी ने संविदा कार्य निष्पादन के फलस्वरूप रु 64,36,393/- का भुगतान प्राप्त करना दर्शाया है जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्यापित किया। व्यवहारी के द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि से संबंधित संविदा कार्यों पर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये हुए है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्राप्त राशि में से रु 98,400/- पर 1.5 प्रतिशत मुक्ति शुल्क रु 1,476/- तथा रु 63,37,993/- पर 3 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क रु 1,90,140/- कुल निर्धारित मुक्ति शुल्क रु 1,91,616/- आरोपित किया जबकि व्यवहारी ने रु 63,37,993/- पर 3 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क रु 1,90,140/- के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क रु 95,070/- को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील में विवादित करने पर अपील अस्वीकार की गई।
3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

sm

↓

लगातार.....2

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने पारित आदेश के पूर्व व्यवहारी को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा बिना तथ्यों पर विचार किये आदेश पारित किया है। इन्होंने कथन किया कि व्यवहारी वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर है। व्यवहारी को उसकी अवार्डर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि. से कार्य संविदा प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार ऑयल टैंक की स्थापना हेतु खुदाई, सड़क बनाना, बाउण्ड्रीवाल, कन्ट्रोल रूम आदि का कार्य किया जाना था जो कि मुख्य रूप से सिविल वर्क है तथा इस पर अधिसूचना क्रमांक F.4(12)FD/Tax Div./2001-25 Dated 29-03-2001 के अनुसार 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने सिविल कार्य संविदा की प्राप्त राशि रु 63,37,993/- पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपित किया है जबकि 3 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से रु 95,070/- आरोपित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने मुक्ति शुल्क अविधिक रूप से आरोपित किया है। इन्होंने अपील स्वीकार कर 3 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस निर्धारण करने हेतु निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर है। व्यवहारी को उसकी अवार्डर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि. से कार्य संविदा प्राप्त हुई थी। व्यवहारी का अपील में मुख्य रूप से यह कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने पारित आदेश के पूर्व व्यवहारी को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा बिना तथ्यों पर विचार किये आदेश पारित किया है। व्यवहारी को उसकी अवार्डर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि. से कार्य संविदा प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार ऑयल टैंक की स्थापना हेतु खुदाई, सड़क बनाना, बाउण्ड्रीवाल, कन्ट्रोल रूम आदि का कार्य किया जाना था जो कि मुख्य रूप से सिविल वर्क है तथा इस पर अधिसूचना क्रमांक F.4(12)FD/Tax Div./2001-25 Dated 29-03-2001 के अनुसार 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने सिविल कार्य संविदा की प्राप्त राशि रु 63,37,993/- पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपित किया है जबकि 3 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से रु 95,070/- आरोपित किया जाना चाहिए था।

कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित संविदा कार्य में प्राप्त राशि रु. 63,37,993/- पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपित किया है। अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर अपील अस्वीकार की है कि कर मुक्ति शुल्क का विकल्प अवार्डर व ठेकेदार की सहमति के अनुसार है तथा अवार्डर द्वारा निष्पादित करवाये गये विभिन्न कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार ही ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क काटा गया है और घोषणा पत्र ठेकेदार को जारी किया गया है जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने कर

निर्धारण आदेश पारित किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उठाये गये बिन्दु कि कार्य संविदा मुख्य रूप से सिविल वर्क है जिस पर अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 के अनुसार 1.5 प्रतिशत कर देयता बनती है, का परीक्षण नहीं किया गया है। अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 का संबंधित भाग निम्न प्रकार है :-

**FINANCE DEPARTMENT  
TAX DIVISION  
NOTIFICATION**

[F.4(12)FD/Tax Div./2001-25]

Jaipur, March 29, 2001


**LIST**


S.No.	Description of Works Contract	Rate of Automatic Exemption Fee % of the total value of the contract
1.	2.	3.
1.	Works contract relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.5%
2.	Works contract relating to installation of Plants & Machinery including PSPO, water treatment plant, lying of pipeline with material.	2.25%
3.	any other kind of works contract not covered by S.No. 1 & 2.	3%

उपरोक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि यदि कार्य संविदा बिल्डिंग, रोड़ आदि से संबंधित है तो उस पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर देयता है तथा यदि कार्य बिन्दु संख्या 1 व 2 से कवर्ड नहीं होता है तो बिन्दु संख्या 3 के अनुसार 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है। कर निर्धारण अधिकारी या अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर कोई परीक्षण नहीं किया है कि कार्य संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य संविदा उपरोक्त अधिसूचना के किस बिन्दु से कवर्ड है। इस दृष्टिकोण से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय विवादित संविदा राशि 63,37,993/- पर मुक्ति शुल्क के पुनः आरोपण हेतु निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार की गई विवेचना को ध्यान में रखते हुए व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार विवेचना एवं विश्लेषण सहित निर्णय पारित करें। व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.01.2019 को उपस्थित हों।

9. निर्णय सुनाया गया।

  
(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य

  
(नन्धूराम)  
सदस्य